डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक छत्तीसगढ़/दुर्ग सी. ओ. रायपुर/17/2001.



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 जनवरी 2002—पौष 27, शक 1923

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2002

अधिसूचना

क्रमांक 65/परि.वि./2002.— मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 89 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिये, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण का गठन करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. कावरे, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रमांक 65/परि.वि./2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 17-1-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. कावरे, अवर सचिव.

Raipur, the 17th January 2002

NOTIFICATION

No. 65/Tr. Dept./2002.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (9), of section 89 of the Motor Vehicle Act, 1988, (59 of 1988), the State Government hereby constitues a State Transport Appellate Tribunal for the State of Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. D. KAWARE, Under Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.